न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारीः– कैलाश चन्द गुर्जर , उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

प्रकरण संख्या– 51/2021 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0रा0अ0

दिनेश पिता रामचन्द्र भील उम्र बालिग वर्ष निवासी खातीखेड़ा तह0 रावतभाटा।

................प्रार्थी

विरूद्ध

1. रमेश चन्द्र लोहार पुत्र चुन्नीलाल लोहार जाति लोहार आयु 50वर्ष निवासी नयापुरा बस स्टेण्ड खाई रोड़ प्रताप क्लिनिक के पास कोटा राजस्थान।
2. केसरीलाल पुत्र मालुम नही निवासी खातीखेड़ा तह0 रावतभाटा।
3. सुहाना बाई पत्नि किशनलाल धाकड़ जाति धाकड़ आयु बालिग निवासी खातीखेड़ा तहसील रावतभाटा।
4. भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा।

............अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से :– **श्री रईस अहमद मंसूरी।**

दिनांकः– 16/03/2022

–:आदेशः–

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया हैं कि मौजा ग्राम भवानीपुरा(कुण्डाल) पटवार हल्का खातीखेडा भू0अ0नि0 एकलिंगपुरा तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 81 आराजी न. 14 रकबा 0.14 है0 प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि पड़ौसी खातेदार आये दिन मेड व कब्जे को लेकर तथा घास आदी को काटने पर विवाद होता रहता हैं। प्रार्थी ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थी की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थी उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर दिनांक 21.02.2022 को वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 08.03.2022 को बहस सुनी गई व प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 एवं 2 का नाम प्रार्थना पत्र डिलीट किया जाता है। अप्रार्थी 3 ने जवाब प्रस्तुत कर कोई आप्पति नहीं की व पत्थरगढ़ी करने हेतु सहमति जताई। पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

अतः तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं कि मौजा ग्राम भवानीपुरा(कुण्डाल) पटवार हल्का खातीखेडा भू0अ0नि0 एकलिंगपुरा तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 81 आराजी न. 14 रकबा 0.14 है0 प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगडी की जावे। एवं पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/–रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 16.03.2022 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ